मु. नं. 20/2020

10/9/2024 पत्रावली पेश। वकी प्रार्थी उप.। वकील प्रार्थी ने अपने तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा जैलातरा पटवार हल्का पमाणा तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 676 रकबा 0.84 हैक्टयर खातेदारी कब्जा काश्त भूमि आयी हुई है। उक्त खातेदारी भूमि के उत्तर-पश्चिमी दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1642/674 रकबा 0.15 हैक्टयर आयी हुई है। जिस पर अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थी खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त कर प्रार्थी को बेदखल करना चाहते है तथा आये दिन माठ तोड़ते रहते है। अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु मूल वाद ताफैसला तक पाबन्द किया जावे।

हमनें वकील प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। प्रकरण में प्रथम दृश्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व को अन्तिम रूप से पुख्ता किया जाकर इस आशय की अस्थाई निशेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्व जारी की जाती है कि मौजा जैलातरा पटवार हल्का पमाणा तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 676 रकबा 0.84 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थित बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम। एवं मूल वाद के साथ संलग्न हो।

(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.20 17:20:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner